संख्या–प्र0स0–225/एक–1–2024–
1–1/84/2024

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः नवम्बर, 2024

विषयः–नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश के 47 जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने एवं भूमि विवाद का निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के पत्र संख्या–2461/छिहत्तर–1–2024/1853947 दिनांक–30.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश के 47 जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने एवं भूमि विवाद का निराकरण कराने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में अन्तर्निहित समस्त जनपदों से सूचना प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही यदि किसी जनपद में भूमि के विवाद में शासन स्तर से मार्गदर्शन की अपेक्षा है तो तदनुसार शासन को अपनी आख्या/अभिमत सहित अवगत भी करायें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,
Signed by
Ram Prakash Singh
Date: 09-11-2024 16:55:59
उप सचिव।

संख्या-1437/स्क-2024
2- 996/05-1-2024 - ई-मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।

संख्या: जी 719/05–207/2024 दिनांक 12.12.2024

विषय: नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 द्वारा जल मिशन के अन्तर्गत कियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यो हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश के 47 जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने एवं भूमि विवाद का निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के राजस्व अनुभाग–1 के पत्र सं0–225/ 1–1/84/2024 दिनांक 18.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कियान्वित की जा रही है। प्रदेश के 47 जनपदों (यथा अलीगढ़, एटा, हाथरस, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, बरेली, शाहजहाँपुर, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मुज0नगर, सहारनपुर, बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, मेरठ, मीरजापुर, संतकबीर नगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी) में कियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं में जलाशय परिसर हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने अथवा भूमि विवाद होने के कारण उक्त जनपदों में पेयजल योजनाओं का कार्य बाधित हो रहा है। नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा उक्त जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने एवं भूमि विवाद निराकरण कराने की अपेक्षा की गयी है।

2 ग्राम पंचायतों/अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित भूमि के सम्बन्ध में निम्नवत विधि व्यवस्था है–

i- शासनादेश संख्या–744/एक–1–2016–2016–20(5)/2016 दिनांक 03–06–2016 के प्रस्तर–4(1)(ग) में यह प्राविधान है कि "ग्राम पंचायत/अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित, सीलिंग में प्राप्त भूमि तथा अन्य सरकारी भूमि को राज्य सरकार के सेवरत विभागों को निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के विभाग के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र

-2-

16.12.24

13/12/24

में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार भूमि का मूल्य देय होगा।"

ii- सरकारी प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायतों/अन्य स्थानीय निकायों के प्रबंधन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन/विनिमय की अधिकारिता शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 08-07-2020 द्वारा कलेक्टर/मण्डलायुक्त (यथास्थिति) में प्रतिनिधानित कर दिया गया है।

iii- शासनादेश दिनांक 03-06-2016 के प्रस्तर-4(1)(ण) में यह प्राविधान है कि जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त प्रशासकीय विभाग की संस्तुति पर ही भूमि का पुनर्ग्रहण किया जायेगा।

3- उपर्युक्त वर्णित विधि व्यवस्था के आलोक में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि कृपया ग्राम पंचायत/अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण/विनिमय/श्रेणी परिवर्तन की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) की संस्तुति के उपरान्त कलेक्टर/मण्डलायुक्त (यथास्थिति) द्वारा किया जायेगा। अतः यह उचित होगा कि प्रशासकीय विभाग द्वारा 'जल जीवन मिशन' परियोजना के सुलभ कियान्वन हेतु जनपद स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया जाये और उक्त नोडल अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर परियोजना हेतु विवाद रहित एवं उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण किया जाये। तदनुसार चिन्हित भूमि का नियमानुसार पुनर्ग्रहण/हस्तान्तरण (यथावांछित) की कार्यवाही की जाये।

कृपया उपर्युक्त आख्या से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

12.12.24

(सूरज कुमार यादव)
प्रभारी अधिकारी
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सूरज कुमार यादव)
प्रभारी अधिकारी
कृते आयुक्त एवं सचिव।